



ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार



पत्रांक: जेएसएलपीएस/लेखा/099/2018/७११

रांची, दिनांक: 30.05.2024

कार्यालय आदेश

पलाश (झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रोमोशन सोसाईटी) अन्तर्गत संचालित योजनाओं में गठित सामुदायिक संगठनों/फेडरेशन को अनुमान्य वित्तीय अनुदान/सहयोग राशि के संधारण, निकासी एवं उपयोग प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश से निम्नलिखित निदेश दिया जाता है: -

- वर्तमान में सामुदायिक संगठनों के संधारित बैंक खाते से राशि निकासी हेतु संस्थान के सचिव, कोषाध्यक्ष, एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर से किया जा रहा है। इस व्यवस्था में राशि की निकासी हेतु संस्थानों के चेक हस्ताक्षर उपरान्त प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक/प्रभारी को निकासी सत्यापन पदाधिकारी (Verifier) का कार्य दायित्व प्रदान किया जाता है।
- प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक/प्रभारी सम्बन्धित सामुदायिक संगठनों के संधारित बैंक खाते से सभी भुगतान तय नियमों एवं प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हुए राशि की निकासी को सत्यापित करेंगे। मूलरूप में दो प्रतियों में संलग्न प्रपत्र-1 के अनुरूप प्रमाण पत्र प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक जारी करेंगे जिसकी एक प्रति संबंधित संगठन कार्यालय में संधारित होगी तथा दूसरी मूलप्रति संगठन से निर्गत चेक/NEFT/पत्र के साथ में बैंक को भुगतान हेतु समर्पित किया जायेगा। सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यालय में प्रमाणपत्र की छायाप्रति के साथ एक पृथक पंजी में सभी सत्यापन प्रकरणों का विवरण संधारित करेंगे।
- संकुल स्तरीय संगठन स्तर पर किसी एक संगठन/Payee को एक बार में राशि रु.2.00 लाख से अधिक की निकासी के पूर्व जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगी। इस जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं सदस्य जिला वित्त प्रबंधक/प्रभारी तथा जिला एम.आई.एस. पदाधिकारी/प्रभारी होंगे।
- संकुल स्तरीय संगठन के अनुदान बैंक खाता से किसी भी संगठन/Payee को नगद राशि/Bearer Cheque से भुगतान पर रोक लगायी जाती है।
- सामान्यतः वित्तीय लेनदेन सम्बन्धी निर्णय केवल निर्धारित मासिक बैठक में लिया जायेगा। सभी सामुदायिक संगठनों के स्तर पर वित्तीय लेनदेन विषयक आहूत बैठकों में कुल पदेन सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी। बिना कोरम पूरा हुए कोई राशि की निकासी नहीं की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति/अतिआवश्यक होने पर निर्धारित (Scheduled) बैठक के अतिरिक्त विशेष बैठक होने पर, विशेष बैठक के लिए एक वर्ष (अप्रैल से मार्च) में मात्र 3 बैठक ही आयोजित की जा सकेगी। इस विशेष बैठक आयोजन की सूचना सम्बन्धित संगठन पलाश के जिला कार्यालय एवं प्रखण्ड कार्यालय को देना आवश्यक होगा। इन विशेष बैठक में राशि निकासी के लिए भी सदस्यों के दो तिहाई उपस्थिति के साथ जिला कार्यालय प्रतिनिधि/प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक की उपस्थिति होने पर राशि निकासी का निर्णय मान्य होगा।



ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

पत्रांक: जेएसएलपीएस/लेखा/099/2018/१३९

रांची, दिनांक: 20.05.2024

6. भारत सरकार से DAY-NRLM अन्तर्गत Community Operation Manual के आलोक में तय प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए राशि की निकासी किया जाय।
7. भारत सरकार से DAY-NRLM अन्तर्गत सामुदायिक संस्थान के स्तर पर राशि निकास हेतु प्राप्त निदेश एवं तय वित्तीय सीमा पूर्ववत: लागू रहेगी। उदाहरण स्वरूप आजीविका Non-Farm अन्तर्गत OSF/BRC को सामुदायिक उद्यम निधि (CEF) मद में रु.50000/- प्रति उद्यमी से अधिक राशि के Business Plan होने पर इसकी निकासी हेतु जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी।
8. अन्य सभी सामुदायिक संगठनों यथा (FPO/FPC/PE/PG/BRC/OSF/ASK/RAC/CHC) के द्वारा भुगतान के मामलों में, प्रत्येक लाभुक/हितग्राही को राशि रु.50,000/- से अधिक के भुगतान पर जिला स्तरीय समिति (कंडिका 3.5 अनुसार) की सहमति आवश्यक होगी। साथ ही सामग्री/सेवा शुल्क के भुगतान हेतु NRLM की Community Procurement Manual में निहित नियमों का अनुपालन किया जाय।
9. सभी सामुदायिक संगठनों में बैंक चेक बुक का संधारण सुरक्षित स्थान पर किया जाय तथा निर्गत चेक का उल्लेख बैठक कार्रवाई पंजी में भुगतान के साथ अंकित किया जाय।
10. संकुल स्तरीय संगठनों के अनुदान बैंक खाता से VO/PG/FPO/OSF/BRC या किसी NRLM निर्धारित संस्थाओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति (Individual) अथवा NGO/अन्य निजी संस्था आदि को कोई भी भुगतान नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ है तो 15 दिनों में इसकी वसूली सुनिश्चित करते हुए इसकी जानकारी जिला कार्यालय में संधारित कर पुनरावृत्ति पर रोक लगाई जाय।
11. राशि रूपए 10 (दस) लाख से अधिक के सभी निकासी प्रस्ताव के सम्बंध में राज्य कार्यालय को जिला कार्यालय, पलाश संलग्न प्रपत्र प्रारूप-2 में जानकारी संसूचित करेंगे।
12. प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार समस्त संकुल स्तरीय संगठन के कार्यकारणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का प्रशिक्षण एवं लेखा समीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर किया जाय। जिसमें राज्य स्तरीय पदाधिकारी भी यथासम्भव भाग लेंगे।
13. सोसाईटी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं से फेडरेशन को अब तक विमुक्त कुल अनुदान राशि, उसका उपयोग तथा शेष राशि की स्थिति की जानकारी विहित प्रपत्र में जिलों से अपेक्षित है, जिसका प्रपत्र प्रारूप-3 संलग्न है। राशि के उपयोग में विचलन अथवा अनियमितता होने पर अभियुक्ति या पृथक से पूर्ण तथ्यों का अवश्य उल्लेख हो।
14. संकुल स्तरीय संगठन पर वित्तीय लेनदेन की जानकारी प्राप्त करते हुए जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा समय-समय पर नियमित समीक्षा की जाए।



पलाश
(झारखण्ड स्टेट नार्मललीहुड प्रमोशन बोर्ड)




ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

15. बिन्दु 1 से 10 के निदेशों को सुनिश्चित कराने के लिए सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबंधक सभी सम्बन्धित बैंक शाखाओं को निदेश पत्र संबंधित प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक के हस्ताक्षर अभिप्रमाणित कर संसूचित करेंगे एवं बैंक शाखा से इसकी संपुष्टि प्राप्त करेंगे।
16. उपरोक्त निदेशों के आलोक में इस निकासी प्रक्रिया की सूचना सभी सामुदायिक संगठनों को जिला कार्यक्रम प्रबंधक सूचित कर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

उक्त निदेशों पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा आवश्यक कार्रवाई 5 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू होगा।

संलग्नक:- यथोक्त।


(संदीप सिंह)


मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पलाश, (जे.एस.एल.पी.एस.) राँची।

पत्रांक: जेएसएलपीएस/लेखा/099/2018/979

राँची, दिनांक: 30/05/2024

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- मुख्य परिचालन पदाधिकारी, प्रशासन, जे.एस.एल.पी.एस. को सूचनार्थ।
- मुख्य परिचालन पदाधिकारी, जे.एस.एल.पी.एस. को सूचनार्थ।
- सभी डोमेन प्रभारी, जे.एस.एल.पी.एस. को सूचनार्थ।
- जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, सभी प्रखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।


मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जे.एस.एल.पी.एस., राँची।

कार्यालय के लैटर पैड पर

संख्या:- /

दिनांक:-

सत्यापन प्रमाण पत्र¹

मैं, प्रमाणित करता हूँ कि (संगठन का नाम).....
 ग्राम..... बैंक खाता संख्या.....
 बैंक एवं शाखा का नाम.....
 से चेक/पत्र संख्या..... दिनांक से धनराशि
 रु..... शब्दों में
 नामे..... को भुगतान योजना के निहित
 नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए जारी किया गया है।

इस प्रमाण पत्र की मूलप्रति के आधार पर ही प्राप्त चेक/अनुरोध से NEFT/भुगतान करें।

(नाम एवं हस्ताक्षर)

प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक

प्रखण्ड.....

मोबाइल:.....

ईमेल:.....

मोहर/सील

संलग्नक: यदि कोई हो

यह प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों तक ही वैध होगा एवं उपर्युक्त में किसी प्रकार की कटिंग/वाईटनर लगाने पर मान्य नहीं किया जायेगा।

¹ यह प्रमाण पत्र संधारित अभिलेखों के पूर्ण सत्यापन एवं नियमों के अनुपालन सुनिश्चित होने के पश्चात् जारी किया जाय। किसी भी विचलन एवं/अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी के सत्यापन होने पर भुगतान राशि पर सम्बन्धित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी।

**Statement of Payments made by Community Institution exceeding Rs. 10 lakh
District -**

S.No.	Name of CLF	Block	Village	Concern Domain (Livelihood Farm/Non Farm/ SMIB/ Valuechain etc.)	Type of Payment (Entitlement/Purchase/Grant/Vendor Payment)	Purpose	Name of Payee	Account No. of Payee	Amount (in Rs.)	Remarks/ Scheme

4 Signature of District Committee Members






Signature of DPM

5.

गरी की जा सके...

